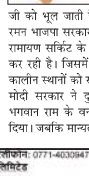

संक्षिप्त समाचार

सामान्य प्रशासन व सामान्य सभा की बैठक 6 सितम्बर को

सूरजपुर। जनपद पंचायत सूरजपुर की सामान्य प्रशासन समिति व सामान्य सभा की बैठक 06 सितम्बर 2023 को दोपहर 01 बजे से जनपद पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में आयोजित किया जाना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सर्व सदस्यों को समय पर बैठक में उपस्थित होने आग्रह किया है।

आईटीआई रामानुजनगर में किया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

सूरजपुर। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामानुजनगर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मास्टर ट्रेनर डी.एस. लकड़ा, शत्रुघन मिश्रा तथा सुधाकर शुक्ला के द्वारा संस्था में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को विस्तारपूर्वक मतदान संबंधित जानकारी देकर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। कार्यक्रम की शुरूवात की गई एवं मतदान से संबंधित मूलभूत जानकारी दी गई। मतदान संबंधी जानकारी देते हुए फॉर्म 6 के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं फॉर्म 8 द्वारा संशोधन कराने एवं सभी को मतदान में बढ़-चढ़कर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्री मिश्रा के द्वारा छात्र-छात्राओं एवं उपस्थित कर्मचारियों को मतदाता शपथ ग्रहण कराया गया।

आईटीआई के छात्रों को मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी की दी जा रही जानकारी

सूरजपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार आज मास्टर ट्रेनर विपिन पाण्डेय, रामबरन सिंह एवं रमेश कुमार जायसवाल आई.टी.आई. प्राचार्य देव सिंह, और समस्त स्टॉफ तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति में आई.टी. आई. कॉलेज प्रेमनगर में मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें तहसीलदार प्रेमनगर श्रीमती मीना सिंह की गरिमामयी उपस्थिति व मार्गदर्शन रहा। सर्वप्रथम मास्टर ट्रेनरों द्वारा लोकतंत्र निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में विद्यार्थियों को विस्तार से समझाया गया। 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के संबंध में बताया गया तथा नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी बताई गई व पात्र विद्यार्थियों से बी.एल.ओ. की उपस्थिति में प्रारूप- 6 में नाम जोड़ने के फॉर्म भराये गये, तत्पश्चात् विद्यार्थियों द्वारा मतदाता, घुमते तीरों के निशान में पंक्ति बद्ध होकर निष्पक्ष मतदान के संबंध में तहसीलदार मीना सिंह के द्वारा शपथ दिलाई गयी। तत्पश्चात् हाथों में मतदाता से संबंधी विभिन्न प्रकार के बैनर पोस्टर लेकर आई.टी.आई. प्रेमनगर से तहसील कार्यालय प्रेमनगर तक रैली निकाली गई।

मंत्री अमरजीत भगत ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी के तैयारियों की ली जानकारी

(लोकमाया न्यूज)।

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ और छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के कार्यों और गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। मंत्री श्री भगत ने नवीन धान खरीदी केंद्रों, पीडीएस दुकानों के आबंटन, पीडीएस दुकानों में चावल की उपलब्धता, नमक, गुड़, चना के संग्रहण की अद्यतन स्थिति कस्टम मिलिंग, बारदानों की उपलब्धता सहित विभिन्न विषयों पर अधिकारियों से चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए।

खाद्य मंत्री श्री भगत ने अधिकारियों से नवीन धान खरीदी केन्द्रों के लिए जिलेवार प्राप्त प्रस्तावों की जानकारी ली। उन्होंने पीडीएस दुकानों के आबंटन तथा दुकानों में पीओएस मशीन लगाने में आ रही दिक्कतों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। मंत्री ने किसान पोर्टल में पंजीयन, खाद्य विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती, नवीन खाद्य निरीक्षकों की पदस्थापना के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर उचित कार्यवाही करने को कहा। नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री भगत ने नमक, गुड़, चना के संग्रहण और पीडीएस हेतु चावल की उपलब्धता की जानकारी लेकर मांग व आपूर्ति के अनुरूप भण्डारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित कस्टम मिलिंग के जिलेवार भुगतान राशि के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।

मंत्री श्री भगत ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी के तैयारियों की समीक्षा करते हुए नये पुराने बारदानों की उपलब्धता, धान खरीदी केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की स्थिति के बारे में चर्चा की और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री भगत ने बैठक छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि नवनिर्मित गोदामों का संयुक्त टीम बनाकर निरीक्षण करें और वहां आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फूड टेस्टिंग लैब के संबंध में अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री धर्मेश साहू, एमडी मार्कफेड श्री मनोज सोनी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रतिभागी राज्य स्तर पर विजय प्राप्त कर बढ़ाएं जिले का मान : कलेक्टर

कलेक्टर ने दो दिवसीय जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का किया शुभारंभ

समस्त विकासखण्डों के विजयी प्रतिभागी हुए शामिल

(लोकमाया न्यूज)।

बलरामपुर। आधुनिक खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच विलुप्त होते जा रहे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को फिर से नई पहचान देने और नई युवा पीढ़ी को इनसे अवगत कराने के लिए शासन द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस ओलंपिक के आयोजन द्वारा राज्य के हर वर्ग के ग्रामीण प्रतिभागियों को उपयुक्त मंच प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दो दिवसीय जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय बलरामपुर के खेल मैदान में कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रेना जमील द्वारा बलरामपुर व राजपुर के प्रतिभागियों के मध्य रस्सा-कस्सी खेल से किया गया।

इस दौरान कलेक्टर श्री एक्का ने समस्त विकासखण्डों एवं नगरीय निकायों से विजयी होकर जिला स्तर पर पहुंचे प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शासन के मंशानुरूप जो खेल विलुप्त हो रहे हैं, उनको सहेजने और संवारने का कार्य छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में 16 तरह के ऐसे खेलों को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ पहचाना जाता है। इसी के साथ उन्होंने जिला स्तर पर पहुंचे प्रतिभागियों को आगे संभाग और राज्य स्तर पर विजय प्राप्त कर जिले का नाम रौशन करने के लिए उत्साहवर्धन किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली तिहार के दिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 की शुरूआत की। 06 चरणों में आयोजित होने वाले इस ओलंपिक में प्रतिभागी बड़े ही उत्साह के साथ ग्राम पंचायत, विकासखण्ड एवं नगरीय स्तर पर विजयी होकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए। प्रथम दिवस संखली, बिल्लस, भौंरा, रस्सीकूद, कबड्डी, रस्सा-कस्सी की प्रतियोगितायें सम्पन्न हुई। जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागी संभाग स्तर पर और फिर राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में आयु वर्ग को तीन वर्गों में बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, द्वितीय वर्ग 18-40 वर्ष आयु सीमा तक एवं तृतीय वर्ग में 40 वर्ष से अधिक उम्र के महिला एवं पुरूष वर्ग के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में विकासखंड व नगरीय क्लस्टर स्तर पर विजेता प्रतिभागियों से लेकर राज्य स्तर के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। विकासखण्ड व नगरीय क्लस्टर स्तर प्रथम आने वाले विजेता खिलाड़ियों को 1000 रूपए, द्वितीय स्थान आने पर 750 रूपए एवं तृतीय स्थान आने पर 500 रूपए की पुरस्कार राशि एवं जिला स्तर पर प्रथम आने वाल विजेता प्रतिभागियों को 2000 रूपए की राशि, द्वितीय आने पर 1500 रूपए और तृतीय स्थान आने पर 1000 रूपए की राशि सहित प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

विकासखण्ड शंकरगढ़ से आई संखली की प्रतिभागी प्रिया पैकरा ने बताया कि दूरस्थ अंचलों में निवासरत युवाओं को पहले अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त नहीं होता था जो अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक उपयुक्त मंच मिला है। तो वहीं राजपुर विकासखण्ड के कबड्डी के प्रतिभागी राहुल दास ने बताया कि उन्होंने पिछली बार हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लिया था तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष मैं राज्य स्तर पर विजय प्राप्त कर अपने जिले का नाम रौशन करना चाहता हूं।

तेंदूपत्ता संग्राहक के लंबि भुगतान के लिए विभाग ने जारी की राशि

विशेष अनुमति लेकर समितियों को आरटीजीएस से जारी किया भुगतान

रायगढ़(लोकमाया)। बंगुरसिया हमीरपुर समिति के तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेंदूपत्ता खरीदी उपरांत भुगतान नहीं मिल पाने के संबंध में खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बारे में जानकारी देते हुए डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टाइलो मंडावी ने बताया कि वर्ष 2023 के तेंदूपत्ता खरीदी का रायगढ़ वन मंडल में 19 करोड़ रुपए का भुगतान होना था। जो कि छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ से सीधे संग्राहकों के खाते में ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए उनकी खाते व अन्य जानकारी के साथ केवाईसी अपडेट किया गया है। रायगढ़ वन मंडल में लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि संग्राहकों के खाते में ऑनलाइन डाली जा चुकी है। किंतु ऐसे संग्राहक जो ऑनलाइन भुगतान के लिए अपना केवाईसी अपडेट नहीं करवाए थे उनका ही भुगतान लंबित था। ऐसे संग्राहकों के लिए छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ से विशेष अनुमति लेकर समितियों के खाते में भुगतान की राशि आरटीजीएस से जारी कर दी गई है।

न्यायालय तहसीलदार (नजूल)
सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)

ईश्तहार

नजूल पट्टा नवीनीकरण

सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कृष्णा देवी अग्रवाल पिता कैलाशचंद अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड क्रमांक 07 सक्ती, तहसील सक्ती जिला-सक्ती (छ.ग.) द्वारा नजूल भूमि सक्ती में स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 21-ए, भू-खण्ड क्रमांक 107, क्षेत्रफल 764 वर्गफीट भूमि आवेदिका के नाम पर दर्ज है उक्त भू-खण्ड का पट्टा नवीनीकरण करा कर भूमिस्वामी हक में प्राप्त करना चाहती है। बताया जाकर भूमि के निराकरण किये जाने हेतु नजूल अभिलेख में आवेदन पेश किया गया है। जिसका नजूल भूमि के नवीनीकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

आवेदिका कृष्णा देवी अग्रवाल ने पट्टा नवीनीकरण हेतु नजूल रिकार्ड में आवेदन पेश किया है। इस विषय में जिस किसी को दावा आपत्ति हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 21/09/2023 तक स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से दावा/आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि पश्चात पेश दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 01/09/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

शीट क्रं.-15-बी, भू-खण्ड 21/1, क्षेत्रफल 71 वर्गमीटर

तहसीलदार नजूल
जिला सक्ती (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार (नजूल)
सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)

ईश्तहार

नजूल पट्टा नवीनीकरण

सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मुरलीधर अग्रवाल पिता भरतुराम अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड क्रमांक 06 सक्ती, तहसील सक्ती जिला-सक्ती (छ.ग.) द्वारा नजूल भूमि सक्ती में स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 15-बी, भू-खण्ड क्रमांक 21/1, पुराना खसरा नं. 165/3, क्षेत्रफल 71 वर्गमीटर भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है उक्त भू-खण्ड का पट्टा नवीनीकरण करा कर अभिलेख में आवेदन पेश किया गया है। जिसका नजूल भूमि के नवीनीकरण किये जाने हेतु नजूल अभिलेख में आवेदन पेश किया गया है। जिसका नजूल भूमि के नवीनीकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

आवेदिका कृष्णा देवी अग्रवाल ने पट्टा नवीनीकरण हेतु नजूल रिकार्ड में आवेदन पेश किया है। इस विषय में जिस किसी को दावा आपत्ति हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 21/09/2023 तक स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से दावा/आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि पश्चात पेश दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 01/09/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

शीट क्रं.-15-बी, भू-खण्ड 21/1, क्षेत्रफल 71 वर्गमीटर

तहसीलदार नजूल
जिला सक्ती (छ.ग.)

भाजपा राम के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है: कांग्रेस

15 सालों तक भगवान राम और माता कौशल्या को भाजपा भूल गयी थी

रायपुर(लोकमाया)। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा राम के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है, रामकाज नहीं करना चाहती है। 15 सालों तक भगवान राम और माता कौशल्या को भाजपा भूल गयी थी। 15 साल में जो नहीं हुआ उसे कांग्रेस सरकार ने 5 साल के भीतर पूरा कर दिखाया। राम वन गमन पथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ जो पूर्व में कौशल प्रदेश था में बीते उनके समय को याद दिलाता है। कांग्रेस सरकार के प्रयासों से राम वन गमन पथ सीतामढ़ी हरचौका से रामाराम तक लगभग 2260 किलोमीटर की योजना साकार रूप ले चुका है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से राजनीति करने वाली भाजपा ने विश्व विख्यात विश्व की एकलौती माता कौशल्या के मंदिर निर्माण के विषय में नहीं सोचा। भाजपा के लिए जय श्री राम का नारा सिर्फ सत्ता प्राप्ति का जरिया, सत्ता मिलते ही भाजपा श्री राम जी को भूल जाती है। छत्तीसगढ़ में 15 साल में रमन भाजपा सरकार में वही हुआ। मोदी सरकार रामायण सर्किट के नाम से एक परियोजना शुरू कर रही है। जिसमें उसका दावा है कि रामायण कालीन स्थानों को संरक्षित किया जायेगा। लेकिन मोदी सरकार ने दुर्भावना पूर्वक छत्तीसगढ़ के भगवान राम के वन गमन मार्गों को स्थान नहीं दिया। जबकि मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्ष में से अधिसंख्यक समय को छत्तीसगढ़ में बिताया था। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मायका जन्म स्थान भी माना जाता है। इसके बाद भी रामायण सर्किट में छत्तीसगढ़ के एक भी स्थान को जगह नहीं देना बताता है कि भाजपा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे नहीं आने देना चाहती। 15 साल तक रमन शासनकाल में छत्तीसगढ़ की बिटिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की माता कौशल्या माता जी को रमन भाजपा ने कभी याद नहीं किया। भाजपा का राम नाम का जाप राम भक्तों से मात्र वोट बटोरने और चंदा वसूलने तक ही सीमित है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी छत्तीसगढ़ के कण-कण में बसते है। छत्तीसगढ़ में सुबह की शुरुवात राम-राम से होती है। किसान काठा से धान नापते समय गिनती करते है तब एक नही बल्कि राम बोलते है।

CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION CO. LTD.
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking) CIN: U40108CT2003SGC015821
NO.021-10/PUBLICATION/ 3607 Korba West, dtd. 01.09.2023
(e Bidding)TENDER NOTICE No. 1244/2023.

Online tenders are invited from experienced & prospective firms for the following Work/Supply:

S. No	Rfx No.	Particulars	Cost of tender doc.	E.M.D. (Rs.)	Last date of submission & opening
1.	Rfx No. 8100033652	Replacement of Tension Insulator String of 400 KV Swichyard PH-II, HTPS, Korba West.	590/-	12,865/-	22.09.2023
2.	Rfx No. 8100033679	Procurement of Complete Set of Filter Machine suitable for Hydraulic Oil 100 and Lube Oil 68 OR equivalent (Mineral) Oil for Unit No. 3 & 4, HTPS, Korba West.	590/-	6,270/-	22.09.2023

NOTE: - 1. Payment of Tender cost & EMD shall be done online through e-bidding portal. The tender documents can be seen from our website **www.cspc.co.in– e-Bidding** 2.Quantity as per tender schedule

SAVE ENERGY FOR THE BENEFIT OF SELF & NATION

SUPERINTENDING ENGINEER (C-II)
O/o THE ADDL. CHIEF ENGINEER (S&P)HTPS, CSPGCL, KORBA WEST

टेलीफोन: 0771-4030947

न्यू एरा अल्कलॉइड्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
सीआईएन नंबर: L24100CT1994PLC008842
पंजीकृत कार्यालय: 408, वॉलफोर्ट ओजोन, फाफाडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492001

29 वीं वार्षिक आम सभा के नोटिस और ई वोटिंग की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कंपनी की 29 वीं वार्षिक आम सभा बैठक (ए.जी.एम) गुरुवार, **28 सितंबर 2023 को दोपहर 3:00 बजे** (भारतीय मानक समय), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा 11 अगस्त, 2023 के एजीएम के नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी।
2. कंपनी की ए.जी.एम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट- 2022-23 के लिए, कंपनी की वेबसाइट https://www.neweraltd.com/ , स्टॉक एक्सचेंज एमएसईआई लिमिटेड (www.msei.in) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. निर्णायक तिथि 21 सितंबर, 2023 को जिन अंशधारकों ने अंश भौतिक रूप में या डीमैट रूप में रखें है, वह अपने मत का प्रयोग आम और विशेष व्यापार जैसा की एजीएम के नोटिस 11 अगस्त, 2023 में बताया गया है, वह सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से, अपना मत डाल सकते हैं। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (अ) एजीएम की वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस 1 सितंबर, 2023 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है (ब) इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया सोमवार, 25 सितंबर, 2023 प्रातः 10:00 (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी और उसके पश्चात मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी (स) कंपनी सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में मतदान की सुविधा प्रदान करेगी।
4. कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है (प्रेषण की अंतिम तारीख 25 अगस्त, 2023) और कट-ऑफ तारीख (यानी 21 सितंबर, 2023) तक शेयर रखता है, वे व्यक्ति अपने डीपी आईडी और ग्राहक आईडी या फोलियो नं के साथ https://www.evotingindia.com/ और RTA ई-मेल आईडी और beetalrta@gmail.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
5. व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है कट-ऑफ की तारीख तक, केवल उन व्यक्तियों को ए.जी.एम में मतदान के साथ-साथ दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
6. सदस्य, दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सभा में भाग ले सकते है किंतु उन सदस्यों को सभा में पुनः मत देने की अनुज्ञा नहीं होगी।
7. सदस्यों से अनुरोध है की वह मतदान की प्रक्रिया एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से सभा में शामिल होने के लिए ए.जी.एम के नोटिस दिनांक 11 अगस्त, 2023, एवं सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका अनुपालन करें।

स्थान : रायपुर
दिनांक : 05/09/2023

कृते, न्यू एरा एल्कलॉइड्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
हस्ता.
सुबाहु राठी (कंपनी सचिव)

---

www.ashokarefineries.com
ई-मेल: arlraipur@yahoo.com

अशोका रिफाइनरीज लिमिटेड
सीआईएन नंबर: L15143CT1991PLC006678
पंजीकृत कार्यालय: 408, वॉलफोर्ट ओजोन, फाफाडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492001

32 वीं वार्षिक आम सभा के नोटिस और ई वोटिंग की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कंपनी की 32 वीं वार्षिक आम सभा बैठक (ए.जी.एम) शुक्रवार, **29 सितंबर 2023 को दोपहर 4:30 बजे** (भारतीय मानक समय), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा 10 अगस्त, 2023 के एजीएम के नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी।
2. कंपनी की ए.जी.एम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट- 2022-23 के लिए, कंपनी की वेबसाइट https://www.ashokarefineries.com/, स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. निर्णायक तिथि 22 सितंबर, 2023 को जिन अंशधारकों ने अंश भौतिक रूप में या डीमैट रूप में रखें है, वह अपने मत का प्रयोग आम और विशेष व्यापार जैसा की एजीएम के नोटिस 10 अगस्त, 2023 में बताया गया है, वह सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से, अपना मत डाल सकते हैं। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (अ) एजीएम की वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस 1 सितंबर, 2023 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है (ब) इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 प्रातः 10:00 (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और, गुरुवार 28 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी और उसके पश्चात मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी (स) कंपनी सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में मतदान की सुविधा प्रदान करेगी।
4. कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है (प्रेषण की अंतिम तारीख 25 अगस्त, 2023) और कट-ऑफ तारीख (यानी 22 सितंबर, 2023) तक शेयर रखता है, वे व्यक्ति अपने डीपी आईडी और ग्राहक आईडी या फोलियो नं के साथ https://www.evotingindia.com/ और RTA ई-मेल आईडी और beetalrta@gmail.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
5. व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है कट-ऑफ की तारीख तक, केवल उन व्यक्तियों को ए.जी.एम में मतदान के साथ-साथ दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
6. सदस्य, दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सभा में भाग ले सकते है किंतु उन सदस्यों को सभा में पुनः मत देने की अनुज्ञा नहीं होगी।
7. सदस्यों से अनुरोध है की वह मतदान की प्रक्रिया एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से सभा में शामिल होने के लिए ए.जी.एम के नोटिस दिनांक 10 अगस्त, 2023, एवं सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका अनुपालन करें।

स्थान:रायपुर
लिमिटेड
दिनांक:05/09/2023

कृते, अशोका रिफाइनरीज
हस्ता.
गरिमा मोधा (कंपनी सचिव)

ई-मेल: naturahue@rediffmail.com
टेलीफोन: 0771-4030947

नेचुरा ह्यू केम लिमिटेड
सीआईएन नंबर: L24117CT1995PLC009845
पंजीकृत कार्यालय: 408, वॉलफोर्ट ओजोन, फाफाडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492001

28 वीं वार्षिक आम सभा के नोटिस और ई वोटिंग की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कंपनी की 28 वीं वार्षिक आम सभा बैठक (ए.जी.एम) बुधवार, **27 सितंबर 2023 को दोपहर 3:00 बजे** (भारतीय मानक समय), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा 11 अगस्त, 2023 के एजीएम के नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी।
2. कंपनी की ए.जी.एम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट- 2022-23 के लिए, कंपनी की वेबसाइट https://www.naturahuechem.com/, स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. निर्णायक तिथि 20 सितंबर, 2023 को जिन अंशधारकों ने अंश भौतिक रूप में या डीमैट रूप में रखें है, वह अपने मत का प्रयोग आम और विशेष व्यापार जैसा की एजीएम के नोटिस 11 अगस्त, 2023 में बताया गया है, वह सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से, अपना मत डाल सकते हैं। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (अ) एजीएम की वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस 1 सितंबर, 2023 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है (ब) इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया रविवार, 24 सितंबर, 2023 प्रातः 10:00 (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी और उसके पश्चात मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी (स) कंपनी सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में मतदान की सुविधा प्रदान करेगी।
4. कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है (प्रेषण की अंतिम तारीख 25 अगस्त, 2023 , 2023) और कट-ऑफ तारीख (यानी 20 सितंबर, 2023) तक शेयर रखता है, वे व्यक्ति अपने डीपी आईडी और ग्राहक आईडी या फोलियो नं के साथ https://www.evotingindia.com/ और RTA ई-मेल आईडी और beetalrta@gmail.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
5. व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है कट-ऑफ की तारीख तक, केवल उन व्यक्तियों को ए.जी.एम में मतदान के साथ-साथ दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
6. सदस्य, दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सभा में भाग ले सकते है किंतु उन सदस्यों को सभा में पुनः मत देने की अनुज्ञा नहीं होगी।
7. सदस्यों से अनुरोध है की वह मतदान की प्रक्रिया एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से सभा में शामिल होने के लिए ए.जी.एम के नोटिस दिनांक 11 अगस्त, 2023, एवं सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका अनुपालन करें।

स्थान : रायपुर
दिनांक : 05/09/2023

कृते, नेचुरा ह्यू केम लिमिटेड
हस्ता.
शिवांगी अग्रवाल (कंपनी सचिव)

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद

काष्ठागार नीलाम का संक्षिप्त विवरण

सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि गरियाबंद वनमंडल के अंतर्गत गरियाबंद काष्ठागार में संग्रहित ईमारती काष्ठ एवं अस्थाई पड़ाव/निस्तार डिपो के अवशेष बांस/जलाऊ चट्टा का थोक विक्रय द्वारा निवर्तन किया जावेगा. इच्छुक बोलीदारों से अनुरोध है कि नीलाम में भाग लेवें. नीलाम की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमंडल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है. नीलाम में प्रस्तावित मात्रा में कमी/अधिकता हो सकती है.

डिपो का नाम - वन काष्ठागार गरियाबंद
नीलाम दिनांक - 14.09.2023
नीलाम समय - प्रातः 09.00 बजे

नीलाम में प्रस्तावित वनोपज की अनुमानित मात्रा

क्र.	प्रजाति	लट्ठा घ.मी.		बल्ली/डेंगरी (संख्या)	
		नया	पुराना	योग	पुराना
1.	सागौन	100.000	77.417	177.417	880
2.	साल	756.160	1787.310	2543.470	467
3.	बीजा	189.280	182.694	371.974	34
4.	शीशम	1.110	0.000	1.110	0
5.	तिन्सा	19.512	30.932	50.444	80
6.	साजा	150.030	61.255	211.285	0
7.	हल्दू	46.540	27.509	74.049	0
8.	धावड़ा	34.655	1.221	35.876	0
9.	सलाई	26.615	28.234	54.849	0
10.	अन्य	194.040	212.122	406.162	0
	योग:-	1517.942	2408.694	3926.636	1461

वनोपज	उपभोक्ता/ बसोड़ डिपो		योग
कटंग बांस नया	फिंगेश्वर	108 नग	108

वनोपज	अस्थाई पड़ाव डिपो				निस्तार/ उपभोक्ता डिपो						योग
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	परसुली	पथर्री	मदनपुर	बासीन	कोरबी	कोसमा	आमदी	
जलाऊ चट्टा पुराना	61	102	-	-	31	-	-	-	-	-	194
जलाऊ चट्टा नया	-	-	174	22		24	100	30	30	34	540

टीपः-

01. किसी भी व्यक्ति को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व नीलाम की शर्तों का पालन करने के करार प्रतीक स्वरूप विक्रय सूचना पर अपना हस्ताक्षर करना होगा.
02. प्रत्येक लाट के संबंध में बोली लगाने के पूर्व जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता हो उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि या 1000/- (एक हजार) रूपए इसमें से जो भी अधिक हो राशि जमा करना होगा.
03. नीलाम में सत्यंकार की राशि जमा करते समय सत्यंकार अधिकारी को वर्ष 2023 के लिए विनिर्माता व्यापारी के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा.
04. क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत ई.एम.डी. की राशि का धनादेश अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चेक स्वीकार किये जावेगा. प्रत्येक क्रेता को विनिर्माता/उपभोक्ता/व्यापारी लायसेंस एवं आयकर पेन नं. /टीन नं./जी.एस.टी. नं. की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करने पर ही वर्क आर्डर जारी किया जावेगा.
05. यदि किसी क्रेता द्वारा किसी कारणवश विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि ई.एम.डी. के रूप में जमा की जाती है तो उस 07 दिवस के भीतर शेष 15 प्रतिशत राशि जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वनमंडलाधिकारी स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है. आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जमा 10 प्रतिशत ई.एम.डी. की राशि शासन के पक्ष में राजसात कर लाट निरस्त कर दी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित क्रेता की होगी.
06. नीलाम में भाग लेने वाले समस्त ठेकेदारों को नीलाम के दौरान COVID-19 के रोकथाम हेतु WHO द्वारा जारी नियमों का अनिवार्यतः पालन करना होगा. जलाऊ/बांस नीलाम के पश्चात् ईमारती लकड़ी का नीलाम किया जावेगा.

वन संरक्षक
सह प्रभारी वनमंडलाधिकारी
गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद

जी-04909/3